


## 75 20-498/2015/ CHET 10209



## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at GWALIOR

Process Id: 33480/2015

WP/7205/2015

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior 29 11 2011 Part 20 11 Part

FOR ADMISSION Fixed for 26-11-2015 DA- 01

Respondent No. 1 (i)

To,

State of Madhya Pradesh Through Principal Secretary, Ministry of Revenue, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 06-11-2015

RAD

Sub: Notice to Respondent No. 0 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 7205/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Raghvendra Singh Tomar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/7205/2015** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 26-11-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

COURT OF MADHYA ARAC

AFFIXED AT GWALIOR

18/11/15

Your faithfully

SECTION OFFICER

Section Officer High Court Of Madhya Pradesh Bench Gwalior

## कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

## आदेश

ग्वालियर, दिनांक 62/12) 15.

Deput

High Ben

क्रमांक/क्यू/जे.सी./19-6/ ५५३) २०15

सिविल प्रक्रिया संहिता 1988 (1908 का अधिनियम सं. 5) के आदेश-27 नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए :--

- 2. प्रभारी अधिकारी को एक आदेश दिया जाता है कि म. प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--
  - (1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनकी कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट की जावेगी.
  - (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियत अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा.
  - (3) वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा.
  - (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा.
  - (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित जवाब/उत्तर तैयार करवायेगा.
  - (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पर भेजेगा :-क-वाद-पत्र एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट.
    ख-प्रस्तावित लिखित कथन एक प्रारूप.
    ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है.
    घ-मामले के विशुद्धिकरण के लिये आवश्यक कारण पत्रों की प्राप्तियां उसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.
  - (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्त्तव्यों का स्वयं को सदैव ही अवगत कराना.
  - (8) अब कोई आदेश / निर्णय विशिष्ठ तथा मध्यप्रदेश के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसी क्रम सहित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आयामी कार्यदिवस को आवेदन करना.
  - (9) अपनी रिपोर्ट तथा आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रतियां तथा शास. अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे.



यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उसकी सूचना देते समय कष्ट नहीं हो. जैसे ही उसे अपनी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देखें. वह वर्तमान पत्र का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब कि प्रभारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे.

- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देंगे तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे.
- (13) प्रभारी अधिकारी या आदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो यह जैसे भी वाद का निश्चित होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष माध्यम से सरकार को करेगा. निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जावे और रिपोर्ट के साथ भेजी जावे.
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस मामलों में यह किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है. समय पर कार्यवाही की गई है. अत: एवं वह आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित होगा.
- (15) प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील रिवीजन/पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे.और उनका वह कर्त्तव्य रहेगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील रिवीजन पेश करते की अनुमति मिल जाये और विहित अविध में रिवीजन पेश हो जावेंगे.

संलग्न :-- याचिका

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

याचिका की प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त करें एवं प्रश्तुत किये गये प्रत्यावर्तन की एक प्रति इस कार्यालय में भेजें।

कलेक्टर ग्वालियर एवं पदेन उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

ou

प्रतिलिपि :--

- 1. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर.
- 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.

3. प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग २१ ज्ञास्त्य प्रिकारिक स्थित विभाग २१ ज्ञास्त्य प्रिकारिक स्थापन

प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित कर साथ ही शासकीय अधिवक्ता के सम्पर्क कर दें और उपस्थित प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शास. अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये बाद पर की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये मामले की सुनवाई दिनांक. . . . . . . . . . . . . . . . . . हेतु नियत की गई.

के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

n

कलेक्टर ग्वालियर एवं पदेन उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

शाक्षेमुग्वा—117—कजिग्वा—7-7-10—10,000 प्रपत्र